International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 12-11-2021, Accepted: 27-11-2021, Published: 13-12-2021
Volume 7, Issue 6, 2021, Page No. 38-42

मौलिक अधिकारों एवं कर्त्तव्यों के संबंध में निगमित दृष्टिकोण

दीपक निकुब
शोधार्थी, विधि संकाय, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान, भारत

सारांश
प्रत्येक नागरिक भारतीय संविधान द्वारा निर्देशित राष्ट्र के प्रति 11 मौलिक कर्त्तव्य देश की एकता और अखंण्डता को बनाए रखने के लिए नैतिक दायित्वों के रूप में धारण करता हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्त्तव्यों द्वारा समर्थित हैं। कर्त्तव्य अधिकारों से अविभाज्य हैं, अतः दोनों कड़ाई से सहसंबद्ध हैं। न्यूटन का नियम, "प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती हैं", सामाजिक रूप से प्रासंगिक हैं। यह एक कठिन तथ्य है कि मौलिक कर्त्तव्यों पर मौलिक अधिकारों की तुलना में कम चर्चा एवं विचार–विमर्श किया जाता हैं। हमें जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की शक्ति और क्षमता को समझने एवं महसूस करने की आवश्यकता हैं। जिम्मेदारियों का निर्वहन करने से राष्ट्रीय प्रगति में योगदान करने का अद्भुद्ध अवसर मिलता हैं। मौलिक कर्त्तव्य एवं मौलिक अधिकार नागरिकों के साथ ही व्यापार एवं संगठनों के लिए भी समान रूप से लागू होते हैं, क्योंकि व्यक्तियों का समूह ही कम्पनी एवं संगठन का निर्माण करता हैं। व्यापार में मौलिक कर्त्तव्यों के प्रति सामूहिक जिम्मेदारियां होती हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि सामूहिक प्रयासों के बिना व्यवसाय औपचारिक कर्त्तव्यों का पालन करने में सक्षम नहीं होंगे। सरकार को एक सक्षम और उत्साहजनक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना चाहिए जहॉ हर कोई और हर संगठन अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह करने में सक्षम हो। जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में विफलता प्रगति, शांति और सद्भाव के मार्ग पर चोट करेगी। हमारे निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को हमारे मौलिक कर्त्तव्यों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए एवं सभी सामाजिक विकास कार्यक्रमों और परियोजनाओं को उनके साथ जोड़ा जाना चाहिए। शक्तिशाली पदों, बड़े संगठनों एवं व्यवसायों में लोगों का यह कर्त्तव्य है कि वे अपने आस–पास के वंचितों के अधिकारों की रक्षा करने का प्रयास करें एवं सामूहिक व्यवहार को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी लें।

मूल शब्दः मौलिक अधिकार, मौलिक कर्त्तव्य, निगमित सतत् विकास, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

प्रस्तावना
कर्त्तव्यों की संकल्पना के बिना अधिकारों की परिलक्षिता संभव नहीं हैं। यदि ये कहा जाए कि कर्त्तव्य पालना ही अधिकारों की उत्पति का स्त्रोत है तो यह अतिश्योक्ति नहीं कहा जायेगा। अतः अधिकार, कर्त्तव्यों के पूरक हैं। हमारे देश में तो धार्मिक ग्रंथ भी अधिकारों से अधिक कर्त्तव्यों को महत्व प्रदान करते हैं। भगवान श्रीकृष्ण, जिनकों विश्व का सर्वोतम रणनीतिकार कहा जाता हैं, उनकें द्वारा भी गीता के कालजयी श्लोक "कर्मण्ये वा धिकारस्थे मा फलेषु कदाचन" मेंकर्त्तव्यपरायणता को महत्व प्रदान किया गया हैं।

अधिकार एवं कर्त्तव्य राष्ट्र के विकास अथवा किसी संगठन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक ओर तो अधिकार किसी व्यक्ति को विकास प्रक्रिया का हिस्सा बनने का अवसर देते हैं जबकि दूसरी ओर कर्त्तव्य विकास में भूमिका निभाने के लिए व्यक्ति को बाध्य करते हैं। एक लोकतांत्रिक देश में नागरिक के रूप में हम सभी को कुछ अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन, इन अधिकारों के अलावा हमारे कुछ मौलिक कर्त्तव्य भी हैं जिनकें बारे में हम शायद ही कभी बात करते हैं। इसके अलावा हमारे देश के जिम्मेदार नागरिक केवल मौलिक अधिकारों का आनंद लेते हैं, उन्हें मौलिक कर्त्तव्यों से कोई लेना–देना ही नहीं हैं। हम हमेशा ही अपने कर्त्तव्यों की उपेक्षा करते हुए अपने अधिकारों की बातें करते हैं एवं सेवाएं प्रदान करने में सरकार की अक्षमता की शिकायत करते हैं। इसी तरह एक संगठन के कर्मचारी एवं एक संस्थान के एक छात्र के रूप में हम अक्सर प्रणाली की अपर्याप्तता के बारे में शिकायत करते हैं। लेकिन जब राष्ट्र की बात आती हैं, तो अधिकांश समय हम जागरूक नहीं होते हैं। उदाहारण के रूप में एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में, हमारा कर्त्तव्य हैं कि हम सार्वजनिक संपतियों की रक्षा करें, जिनका हम विरोध करते हुए या अपने अधिकारों की मांग करते हुए नष्ट करने में जरा भी संकोच नहीं करते। सड़क के लैंप को नष्ट करना, टायर और वाहनों को जलाना, यातायात को बाधित करना इत्यादि विरोध स्थलों पर आम घटनाएं हैं। क्या हमें वास्तव में ऐसा करने की आवश्यकता हैं ? क्या हमनें कभी इस तरह से अपने देश या संगठन को होने वाले नुकसान का एहसास किया हैं ? क्या हम एक पल के लिए भी विचार करते हैं, उन वस्तुओं के निर्माण में कितनें प्रयासों की आवश्यकता होती होगी ?

देशवासियों के रूप में हमारा भी यह कर्त्तव्य हैं कि हम देश के प्रति देशभक्त हों और अपने देश के लोगो के प्रति मानवतावादी विचारधारा रखें। यह हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी हैं। लेकिन क्या हम ये सभी कर्त्तव्य निभते हैं ? उत्तर या तो स्पष्ट नहीं हैं, या आंशिक हां हैं। हम समय से करो का भुगतान नहीं करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार सब कुछ करेंगी, वो भी बिना कुछ योगदान दिए। कभी कभार हम अपने मूल्यों के लुप्तप्राय होने का भी अनुभव करते हैं जैसे बड़ों का सम्मान करना, ईमानदारी, सत्यता, अहिंसा इत्यादि भारतीय संस्कृति के कुछ मूल्य हैं और यहीं कहीं न कहीं हमारे कर्त्तव्यों को जन्म देते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए हमें प्रोत्साहित करते हैं।

उक्त विषय हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम आजाद द्वारा दिए गए भाषण से भी थोड़ा प्रभावित हैं–"आप कहते हैं कि हमारी सरकार अक्षम हैं। आप कहते हैं कि हमारे कानून बहुत पुराने हैं। आप कहते हैं कि नगरपालिका कचरा नहीं उठाती हैं। आप कहते हैं कि फोन काम नहीं करते हैं, रेलवे एक मजाक हैं, एयरलाइन दुनिया में सबसे खराब हैं, मेल कभी भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचते हैं। आप कहते हैं, कहते हैं, और बस कहते ही हैं। जरा सोचिए, आप इसकें बारे में करते क्या हैं ? सिंगापुर में आप कचरा सड़कों पर नहीं फेंकते हैं। बाहर आप किसी रेस्तरां

या शॉपिंग मॉल में जाने के लिए भी अपने वाहन को पार्किंग में रखने को तैयार होते हैं। आप दुबई में रमजान के दौरान सार्वजनिक रूप से खाने की हिम्मत नहीं करेंगें।आप वाशिंगटन में 55 मील प्रति घंटे से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। आप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर खाली नारियल का खोल फेंकने से पहले भी हिचकिचातें हैं। आप टोक्यों की सड़कों पर पान थूकने से भी गुरेज करते हैं। आप बोस्टन में नकली प्रमाण पत्र नहीं खरीदते हैं। अर्थात् आप अन्य देशों में जिन विदेशी प्रणालियों का सहर्ष सम्मान और पालन करते हैं, उन्हें आप अपने देश में नहीं कर सकते हैं। जिस क्षण आप भारतीय धरा को स्पर्श करेंगें, आप सड़क पर कागज और सिगरेट फेंकनें से गुरेज नहीं करेंगें। यदि आप एक विदेशी देश में सभ्य एवं सराहनीय नागरिक बन सकते हैं तो अपने देश में क्यों नहीं ?" तो चलिए आज से सिस्टम के बारे में शिकायत करने को पूर्ण विराम लगाते हैं। यह सिस्टम हमारे द्वारा ही बनाया गया हैं। सभी का कर्त्तव्य हैं कि वे जिम्मेदार नागरिक बनें। लेकिन दुर्भाग्य से, हर कोई इस जिम्मेदारी को गंभीरता से नहीं लेता हैं।

मौलिक अधिकारों एवं कर्त्तव्यों का संवैधानिक पक्ष –

भारतीय संविधान में अधिकारों को प्रारम्भ से ही स्थान प्रदान किया गया हैं। ये संविधान के भाग 3में प्रदत एवं बिना किसी भेदभाव के, प्रत्येक नागरिक को मूल अधिकारों के रूप में, शासन को दिशा–निर्देश प्रदान करते हुए, न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं।

वहीं दूसरी ओर मौलिक कर्त्तव्य देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने एवं भारत की एकता को बनाए रखने में मदद करने के लिए नागरिकों के नैतिक दायित्वों के रूप में परिभाषित किए गए हैं। उक्त कर्त्तव्य, व्यक्तियों एवं राष्ट्र की चिंता करते हैं परन्तु ये न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते हैं, जब तक कि संसदीय विधि द्वारा इन्हें प्रवर्तनीय न बना दिया जाए।

मौलिक कर्त्तव्य भारत के संविधान के भाग 4–ए में निहित नागरिकों के संगत कर्त्तव्य हैं। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर उन्हें 42 वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। मौलिक कर्त्तव्य, मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा, 1946 के अनुच्छेद 29(1) के अनुरूप हैं। वे अपने राष्ट्र के प्रति नागरिकों के कर्त्तव्यों के बारे में निर्देश के रूप में कार्य करते हैं। वे पर्यावरण की रक्षा करने, भारत की संप्रभुता को बनाए रखने, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करने, भाईचारे को मान्यता देने इत्यादि के संबंध में नागरिकों के निहित दायित्वों पर चर्चा करते हैं। वे नागरिकों के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं कि वे केवल मौलिक अधिकार ही धारण नहीं करते हैं ब्लकि राष्ट्र के प्रति कर्त्तव्य भी धारण किए हुए हैं, जिनका उनकों पालन करना आवश्यक हैं।

संविधान के अनुच्छेद 51 ''क'' के अन्तर्गत नागरिकों के निम्न मूल कर्त्तव्यका उल्लेख किया गया हैं –

1. प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज, और राष्ट्रगान का आदर करे।
2. स्वतन्त्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोये रखे और उनका पालन करे।
3. भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे।
4. देश की रक्षा करे और आह्वान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करे।
5. भारत के सभी लोगों में समरता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म–भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध हैं।
6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे।
7. प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्य–जीव हैं, रक्षा करे और उनका संवर्द्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दया भाव रखे।
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे।
9. सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें।
10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरन्तर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नयी ऊचाईयों को छू ले।
11. 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बालकों के माता–पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षकों का यह कर्त्तव्य होगा कि वे उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। यह खण्ड मूल कर्त्तव्यों के अध्याय में इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि अब एक नया अनुच्छेद 21(क) जोड़कर 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया है।

मौलिक अधिकारों एवं कर्त्तव्यों के संबंध में सरकारी कदम–

न्यू इंडिया की संकल्पना को फलीभूत करने हेतु प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में संवैधानिक मूल्यों का निरंतर एवं क्रमिक विकास समय की आवश्यकता हैं।इस प्रयोजन के लिए, नोडल समन्वय विभाग, न्याय विभाग के रूप में अपनी जिम्मेदारी निर्वाह करते हुए ठोस पहल कर रहा हैं। सचिवों के स्तर पर अंतर–मंत्रालयी बैठकों का नेतृत्व किया गया हैं। हाल ही में, विभिन्न सामुदायिक प्लेटफार्मों, गैर सरकारी संगठनों के भागीदारों एवं कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय इत्यादि के साथ उपलब्ध सीएसआर निधियों के उपयोग हेतु बातचीत शुरू की गई है। सड़क, परिवहन और राजमार्ग द्वारा नागरिकों के कर्त्तव्यों पर संदर्शी विकेन्द्रीकृत प्रसार को सुनिश्चित करने हेतु सीएससी ई–गवर्नेंस सेवाऐंप्रदान की गई हैं। वार्षिक कैलेंडर तैयार करने और इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारियों के साथ विडियों कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संभावित सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। अब तक 25 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों एवं 22 केंद्रिय मंत्रालयों और विभागों ने नोडल अधिकारी नामित किए हैं। न्याय विभाग की वेबसाइट पर संविधान और नागरिकों के कर्त्तव्यों से संबंधित संसाधनों का एक भंडार बनाया गया हैं।साथ ही न्याय विभाग की वेबसाइट के मुखपृष्ठ पर एक विशेष "संविधान दिवस और नागरिक कर्त्तव्य" वेब पेज बनाया गया हैं, जिसमें मंत्रालय, राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन नागरिकों से संबंधित गतिविधियों की श्रृंखला के आयोजन के लिए चित्र, विडियो, रिपोर्ट एवं एक वार्षिक कलैंडर अपलोड कर सकते हैं।कर्त्तव्यों पर डिजाइन किए गए ब्रोशर, पोस्टर इत्यादि भी इन्होंने अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करवाये हैं।कानूनी मामलों के विभाग के सहयोग से डल ळवअण्पद पर ऑनलाइन क्विज एवं राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता भी शुरू की गई हैं।

सरकार का मौलिक कर्त्तव्यों को पूरा करने का प्रस्ताव नागरिकों को कर्त्तव्यों का पालन करने के बारे में जागरूक करने के विचार के साथ जुड़ा हुआ हैं। इस कार्यक्रम का प्रमुख उदेश्य देशभक्ति की भावना को जगाते हुए राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी की भावना को विकसित करना हैं।नागरिकों के कर्त्तव्यों पर ठोस प्रयास करने की आवश्यकता, मंत्रालयों को, एकीकृत तथा संवैधानिक साक्षर भारत की दिशा में काम करने में सक्षम बनाएगी। इसके विपरित, जैसा कि सरकार ने अभी तक पूरे कार्यक्रम के लिए लागत एवं प्रॉस्पेक्टस पर फैसला नहीं किया हैं, अतः इस हेतु लागत का

पता लगाना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता हैं। इसके अलावा कार्यक्रम की जवाबदेही एवं सफलता को निर्धारित किया जाना भी एक मुश्किल कार्य हो सकता हैं क्योंकि जानकारी को समझने वाले लोगों की संख्या का डेटा विश्लेषण भी हैरान करने वाला हो सकता है। हालांकि, कार्यक्रम का उदेश्य एक सूचनात्मक प्रणाली की आवश्यकता को संबोधित करता हैं, यदि इसे तय शर्तों के अनुसार विकसित किया जाता हैं, तो यह समाज पर सकारात्मक प्रभाव पैदा करने में सक्षम होगा।

निगमित परिप्रेक्ष्य में मौलिक अधिकारों की भूमिका

क्या व्यवसायों के पास कोई मौलिक अधिकार हैं ? क्या व्यवसायों के पास कोई मौलिक अधिकार होना चाहिए ? ये सवाल बड़े अजीब से लग सकते हैं, परन्तु हमारे आर्थिक विकास के बिन्दु पर इन्हें प्रस्तुत किया जाना महत्वपूर्ण हो जाता हैं। मौलिक अधिकार अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे कुछ मूल बातों की गारंटी देते हैं जो व्यक्ति की पूर्ण क्षमता को साकार करने के लिए आवश्यक हैं।मानव के रूप में पूर्ण विकास के लिए मानवाधिकारों की अवहेलना किया जाना संभव नहीं हैं। मानवाधिकार हमारे आंतरिक गुणों, बुद्धि, प्रतिभा और विवेक को विकसित करने के साथ ही हमारी आध्यात्मिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करते हैं। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि इन अधिकारों की मान्यता के बिना शिक्षा के अधिकार की मान्यता, विकास के अधिकार की प्राप्ति यद्यपि राष्ट्र का विकास भी संभव नहीं हैं। ऐतिहासिक रूप से, शिक्षा विकास का एक साधन हैं एवं सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक हैं, इस दृष्टि से मानवाधिकारों की शिक्षा को शिक्षा के अधिकार से जोडा जाना उचित होगा, अतः देर से ही सही परन्तु अब शिक्षा के अधिकार को भी मानवाधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। यूनीवर्सल घोषणा, 1948 के अनुच्छेद 26 में भी मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के सम्मान को मजबूती प्रदान करने की बात कहीं गई हैं। मानवाधिकार ना केवल सभी राष्ट्रों के बीच समझ, सहिष्णुता एवं मित्रता को बढावा देता है वरन् संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों में शांति स्थापित करने का भी अतुल्नीय प्रयास करता हैं।

यद्यपि भारत 15 अगस्त, 1947 को एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था, लेकिन 26 जनवरी, 1950 तक इसकें नागरिकों (कम से कम शिक्षित लोगों को) संविधान द्वारा उन्हें प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों के बारे में पता चला।बेशक, जब संविधान लिखा गया, तब कॉर्पोरेट या व्यवसायिक इकाईयों के लिए कोई मौलिक अधिकार नहीं थे। वास्तव में, यह काफी असाधारण होता अगर इस तरह के प्रावधान किए गए होते। दुनिया में ऐसा कोई भी संविधान नहीं हैं जिसमें व्यवसायों के लिए मौलिक अधिकार नाम की कोई चीज हो। यद्यपि अमेरिका में भी नहीं, जिस देश में व्यापार इकाईयों का अत्याधिक महत्व हैं।वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मौलिक अधिकारों को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के साथ पढ़ा जाता हैं, एवं व्यवसायों को भी अच्छी तरह से कवर किया जा सकता हैं। उदाहारण के लिए, स्वतंत्रता के अधिकार में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सभी नागरिक किसी भी व्यवसाय को चुनने, स्थापित करने हेतु स्वतंत्र हैं। शोषण के खिलाफ अधिकार एवं समानता के अधिकार को भी केवल व्यक्तिगत महत्व के अर्थों में देखा जाना पर्याप्त नहीं हैं, ब्लकि वे व्यवसायिक संस्थाओं के लिए भी उतनें ही उपयोगी हैं। यहॉ तक की संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अंतिम सुरक्षा प्रदान करता है, को भी व्यवसायिक परिप्रेक्ष्य में उपयोगी माना जा सकता हैं। अतः यह कहा जाना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि ये अधिकार व्यक्ति के लिए डिजाइन किए गए थे लेकिन वे व्यवसायिक संस्थाओं के लिए भी अच्छी तरह से फिट होते हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों के पश्चात कुछ कारणों से व्यवसायों के लिए मौलिक अधिकारों की आवश्यकता पर बहस करने की आवश्यकता आन पड़ी हैं। सर्वप्रथम, 1991 के बाद से, देश अपने व्यवसायों को आर्थिक स्वतंत्रता देने की ओर बढ़ चुका हैं। साथ ही भारत सरकार भी कई वर्षों से 9 प्रतिशत वृद्धि दर की उम्मीद कर रही हैं, जो कि प्रत्यक्ष रूप से विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में व्याप्त बड़े पैमाने पर व्याप्त कॉर्पोरेट संस्थाओं पर निर्भर हैं। लेकिन उस विकास दर को तब तक प्राप्त किया जाना संभव प्रतीत नहीं होता हैं, जब तक व्यवसायों को बुनियादी स्थितियों एवं अधिकारों पर भरोसा नहीं होता। और अंत में उन प्रयासों की आवश्यकता हैं जो इन अधिकारों की व्यापार को ध्यान में रखते हुए व्याख्या करने में सक्षम हों, जो कि निम्न बातों पर ध्यान केन्द्रित करता हों–जिसमें पहला, एक बुनियादी ढ़ाचें की आवश्यकता, जिसमें अच्छी सड़कों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और निर्बाध बिजली आपूर्ति को आवश्यक बनाता हों। दूसरा, भ्रष्टाचार की खिलाफत करता हों। तीसरा, तर्कसंगत कराधान का अधिकार प्रदान करता हों। चौथा, निष्पक्ष श्रम कानूनों का अधिकार। पांचवा, सरकारी हस्तक्षेप में कमी का अधिकार। और अंत में, छठा, एक शिक्षित और कुशल कार्यबल का अधिकार। ये बहुत मूल बातें हैं, जिनकी प्रत्येक राष्ट्र अपने कॉर्पोरेट संस्थानों को गारंटी देते हैं।और यह दुनिया भर की आर्थिक महाशक्तियों के बीच भारत को अपनी जगह लेने में मदद करने हेतु भी आवश्यक प्रतीत होता हैं।

मौलिक कर्त्तव्यों के संबंध में निगमित प्रयास –

निगमित परिप्रेक्ष्य में मौलिक कर्त्तव्य न केवल महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं वरन् निगमित सतत् विकास में भी योगदान प्रदान करते हैं। प्रत्येक निगम समाज में रह कर समाज हेतु किए गए प्रयासों से ही लाभार्जन करता हैं अतः समाज के प्रति कर्त्तव्यों का निर्वाह किया जाना आवश्यक प्रतीत होता हैं।मौलिक कर्त्तव्यों की उपादेयता को सिद्ध करने हेतु कॉर्पोरेटर्स को गुड़ कॉर्पोरेट सिटीजनशिप की अवधारणा पर जोर देना चाहिए एवं निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) को मौलिक कर्त्तव्यों से जोड़ते हुए अपने शेयरधारकों द्वारा स्थापित कानूनी, नैतिक एवं आर्थिक जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) ने कम्पनियों के संबंध में सामाजिक दायित्व को पूर्ण करने में मदद करने हेतु स्वैच्छिक मानकों का एक सेट जारी किया हैं, जो कि कम्पनी की समाज के प्रति पर्यावरणीय, सामाजिक एवं शासन (ईएसजी) प्रथाओं के संबंध में महत्वपूर्ण गाइड़लाईन प्रदान करते हैं।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक कम्पनी लाभ अधिमितिकरण का लक्ष्य लेकर चलती है, चाहे वो समाज का दोहन करके ही प्राप्त क्यों न हो। लेकिन केवल भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम ना केवल कॉपोरेट बल्कि समाज को भी सक्षक्त करना चाहते है। निगमित सतत् विकास की अवधारणा एक नवीन वैचारिकता लिए हुए है, जिसमें लाभ अधिमितिकरण के स्थान पर चिरस्थाईत्व को महत्व दिया जाता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर परअपना योगदान निभाने में सक्षम हैं, अतः एक विकासशील अर्थव्यवस्था होने के नाते हमारा यह कर्त्तव्य है कि सतत् विकास संबंधी वैश्विक स्तर पर किये जा रहे प्रयासों की कड़ी में हम अपना योगदान सिद्ध करे। उक्त योगदान हेतु प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है, चाहे वह व्यक्तिगत स्तर पर हो या निगमित प्रयासों द्वारा, दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। चूँकि निगमित परिप्रेक्ष्य में प्रयासों का दायरा असीमित हो जाता है, अतः उक्त प्रयासों को सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय घटकों के रूप में विभाजित कर दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

निगम का अस्तित्व ही समाज व्यवस्था से है अर्थात् उनकी उत्पति एवं विकास का आधार सामाजिक व्यवस्था ही है। अतः प्रत्येक निगम का यह कर्त्तव्य है कि वह समाज में रह कर समाज

के उत्थान हेतु आवश्यक रूप से प्रयास करे एवं अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह करते हुए न केवल लाभ अधिमितिकरण वरन् सम्पति अधिमितिकरण की अवधारणा को फलीभूत करे।

वहीं दूसरी ओर समाज भी निगम से यह चाहते है कि वे नैतिक, आर्थिक, विधिक कर्त्तव्यों का निर्वाह करते हुए सामाजिक न्याय, सामाजिक उत्थान एवं सामाजिक सक्षक्तिकरण में अपना योगदान देते हुए आर्थिक सुदृढ़ता को प्राप्त करे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में निगमित प्रकृति वैश्विक हो चली है जिसके फलस्वरूप सरकारी हस्तक्षेप में वृद्धि हुई है एवं साथ ही साथ संचार की उन्नत तकनीकों के कारण एक तरफ तो अवसरो में वृद्धि हुई है वहीं दूसरी ओर समाज द्वारा उनकी अपेक्षाओं पर खरा न उतरे जाने की स्थिति में बहिष्कृत किये जाने का भय भी उत्पन्न हुआ है।

व्यवसायिक सतत् विकास की अवधारणा सामाजिक उत्थान एवं सामाजिक न्याय को बल प्रदान करती है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत, विश्व का प्रथम ऐसा देश है जिसने कार्पोरेट्स हेतु भारतीय कम्पनी अधिनियम, 2013 की 7 वीं अनुसूची, धारा 135 में निगमित सामाजिक उतरदायित्व हेतु प्रावधान किया है। जो कि नियम 2014 के प्रभावस्वरूप 1 अप्रेल,2014 से लागू किया गया है। "उक्त प्रावधानुसार 500 करोड़ रूपये से अधिक के शुद्ध मूल्य वाली या एक हजार करोड़ रूपये या अधिक के आवर्त वाली या पांच करोड़ रूपये या अधिक के शुद्ध लाभ वाली प्रत्येक कम्पनी को 3 साल के औसत मुनाफे का 2 प्रतिशत सीएसआर पर व्यय करने का नियम है।"

सीएसआर का आंकलन करने वाली संस्था सीएसआरबॉक्स के अनुसार शीर्ष 500 कम्पनीयों हेतु मार्च 2019 तक 5 साल में सीएसआर पर खर्च 50,000 करोड़ रूपये तक पहुंचने की उम्मीद है।

संवैधानिक दृष्टि से निम्नलिखित प्रावधानों में कार्मिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु प्रयास किये गये है :–

- अनुच्छेद 23 – बेगार का प्रतिषेध
- अनुच्छेद 24 – कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के नियोजन का प्रतिषेध
- अनुच्छेद 38 – सामाजिक न्याय
- अनुच्छेद 39 – कतिपय कल्याणकारी उपबंध
- अनुच्छेद 41 – काम, शिक्षा एवं लोक सहायता का अधिकार
- अनुच्छेद 42 – काम की न्यायसंगतता, मानवोचित दशायें एवं मातृत्व लाभ
- अनुच्छेद 43 – कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी
- अनुच्छेद 43;।द्ध – कार्मिकों को प्रबंधन में भाग लेने की स्वतंत्रता

अतः किसी भी निगम को चिरस्थाईत्व का गुण धारण करने हेतु कार्मिक संतुष्टि, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, मानवाधिकारों का रक्षण, समान अवसर, सामाजिक उत्थान एवं सामाजिक न्याय के सबंध में प्रयास करने आवश्यक है।

अतः उपर्युक्त परिस्थितियों में निगम को चिरस्थायित्व का गुण धारण करने हेतु निगमित सतत् विकास की अवधारणा को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है एवं न केवल आर्थिक वरण सामाजिक एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु भी समुचित प्रयास किये जाने आवश्यक है। अर्थात् कोई भी निगम अब अपने कर्त्तव्यों की पालना से बच नहीं सकता है।

मौलिक अधिकारों एवं कर्त्तव्योंके रक्षण एवं पालना हेतु व्यवसायोंद्वारा उठायें जाने योग्य कदम–

सामान्य अर्थों में व्यवसाय अपने सिद्धांतों से संचालित किए जाते हैं। चूँकि व्यवसायिक सिद्धांतों का महत्व एक सफल व्यवसाय की रीढ़ हैं, अतः इन सिद्धांतों को इस प्रकार से कियान्वित किया जाना चाहिए जिसकें फलस्वरूप मौलिक अधिकारों एवं कर्त्तव्योंका सम्मान एवं समर्थन व्यवसायिक कार्यवाहियों में सुनिश्चित किया जाना संभव हों।

अतः प्रत्येक व्यवसाय को उपयुक्त प्रयोजन हेतु निम्न कार्यों को अपने व्यवसायिक सिद्धांतों में अनिवार्य रूपों में सम्मिलित किया जाना चाहिए :–

1. सभी व्यवसाय संविधान द्वारा प्रदत मौलिक अधिकारों का सम्मान करेंगें एवं मानवाधिकारों के समर्थन एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुएअपने निगमित कर्त्तव्यों को पूरा करेंगे।
2. सभी व्यवसायिक गतिविधियों एवं व्यवसायिक संबंधों में बाल श्रम के उन्मूलन के प्रति भी योगदान देंगे एवं युवा श्रमिकों एवं स्त्रियोंके सम्मान को सुनिश्चित करते हुए उन्हें सभ्य कार्य प्रदान करेंगे।
3. प्रत्येक व्यवसाय यह सुनिश्चित करें कि उसकें द्वारा निर्मित उत्पाद एवं सेवाऐं सुरक्षित हैं, और वे उनकें माध्यम से मानवाधिकारों का समर्थन करते हैं।
4. व्यवसाय अपनी गतिविधियों में बच्चों एवं स्त्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उनकें सम्मान के विरूद्ध प्रथाओं एवं भेदभाव का उन्मूलन करें।
5. व्यवसाय ऐसे विज्ञापनों एवं विपणन पद्धतियों का प्रयोग करे जो मूल अधिकारो का सम्मान एवं समर्थन करने के साथ ही भारतीय संस्कृति एवं गौरवशाली परम्परा का संवर्धन एवं संरक्षण करती हों।
6. प्रत्येक व्यवसाय अपनी गतिविधियों में प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्य–जीव हैं, रक्षा करे और उनका संवर्द्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दया भाव रखे।
7. व्यवसाय आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों को बचाने में मदद करें।
8. व्यवसाय मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाले सामुदायिक एवं सरकारी प्रयासों को सुदृढ़ करें।
9. व्यवसाय अपने सेवाओं तथा उत्पादों मेंवैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना को प्रोत्साहित करें।
10. प्रत्येक व्यवसाय व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरन्तर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नयी ऊचाईयों को छू ले।
11. प्रत्येक व्यवसाय का यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर्त्तव्य होगा कि वह अपने लाभ का एक भागबच्चों की शिक्षा पर व्यय करें।संभवतः वे इसे अपनी सीएसआर गतिविधियों में अनिवार्यतः शामिल कर ले।

निष्कर्ष एवं सुझाव

अब हमें यह मान लेना होगा कि अधिकार एवं कर्त्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इससें पहले कि हम अधिकारों के अपर्याप्तता का दावा करें, हमें अपनी जिम्मेदारियों पर विचार कर अपने कर्त्तव्यों की पूर्णता की ओर ध्यान देना होगा। जैसा कि एक प्रसिद्ध कहावत में कहा गया है कि–"महान शक्ति, महान जिम्मेदारियॉ लाती हैं।" अतः परिवर्तन तो होना ही हैं, लेकिन हॉ, कुछ समय जरूर लग सकता हैं, और हमें इसके लिए इंतजार करना ही होगा। किसी संगठन या राष्ट्र की संस्कृति में परिवर्तन एक निरंतर प्रक्रियॉ हैं, यह समय की अवधि के साथ होगा और यह व्यक्तियों की ओर से लगातार प्रयास भी करता रहेगा। शुरूआत हमेशा कठिन होती हैं, हम इसे इस उदाहरण से विस्तृत कर सकते हैं कि आप भारत से अमेरिका जाते हैं एवं वहॉ के विपरित यातायात नियमों का पालन करते हैं। इस नए बदलाव के आदि होना बहुत मुश्किल होगा। परन्तु कुछ दिनों बाद यह हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाता हैं, हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे और यह हमारी आदत का हिस्सा बन जाएगा।

''हम आपका फायदा नहीं उठाना चाहते, हम तो आपको जिम्मेदार मानते हैं।
हमारा आप इसलिए समर्थन न करें क्योंकि आप हमारे लिए दया महसूस करते हैं, इसके बजाय हमें इसलिए समर्थन दे क्योंकि हम इसकें लायक हैं।
हम आपके उत्पादों और सेवाओं को खरीदते हैं, लेकिन बदले में हम आपकों हमारे विकास में निवेश करने के लिए कहते हैं।
हमें उपहार नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि आप जिम्मेदार बनें।''

उपर्युक्त वक्तव्य वास्तविक अर्थों में व्यवसायों को उनकें कर्त्तव्यों से अवगत करवाने में सक्षम हैं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं हैं कि व्यवसायों पर जिम्मेदारी को थोपा जाए। अर्थात् "न तो व्यवसाय सम्पूर्ण विश्व की समस्याओं के लिए जिम्मेदार हैं और न ही उनकें पास इतनें साधन हैं कि वे उन सभी को हल करने में सक्षम हो।" अतः सरकार एवं समाज को भी व्यवसाय के कार्यों में भागीदार बनना होगा। संयुक्त प्रयासों से ही कर्त्तव्यपरायणता की संकल्पना का नियोजन संभव होगा। लेकिन हॉ, यह कहा जाना शत प्रतिशत सही होगा कि एक सुनियोजित व्यवासाय अपने क्रियाकलापों के द्वारा किसी भी अन्य संगठन एवं परोपकारी संस्था की तुलना में समाज पर अधिक गहरी छाप छोड़ पाने में सक्षम हैं।

सन्दर्भ सूची

1. "कंपनी अधिनियम, 2013 एवम् नियम, 2014",Delhi, (2015), Commercial Law Publishers (India) Pvt. Ltd, 105
2. श्रीमद्भागवत गीता, अध्याय–2, श्लोक–47
3. "सेव द चिल्ड्रन मुहिम" के तहत,"सीएसआर में बच्चों के प्रति भागीदारी" पर पेरू में दिया गया वक्तव्य
4. डॉ. दिनेश कुमार गहलोत व डॉ. नगेन्द्र सिंह भाटी, भारत का संविधान : एक परिचय, राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर, 2015, पृष्ठ संख्या 40
5. डॉ. जयनारायण पाण्डेय, भारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहबाद, 2006, 39वां संस्करण, पृष्ठ संख्या 376